

निगरानी क्रमांक

/2016

96

प्रस्तुती दिनांक -

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

R 4423 PPR/16

रफीक पिता रईस खान  
आयु - 39 वर्ष, व्यवसाय - व्यापार  
निवासी - 6, दौलतबाग, इन्दौर

- निगरानीकर्ता

द्वारा आज दि 30-12-16 को  
प्रस्तुत

विरुद्ध

क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

म.प्र. राज्य शासन द्वारा कलेक्टर महोदय

कलेक्टर कार्यालय मोती तबेला, जिला इन्दौर

2- तहसीलदार महोदय इन्दौर  
विजय नगर क्षेत्र, कलेक्टर कार्यालय  
मोती तबेला, इन्दौर

- प्रत्यर्थागण

Dehat  
30/12/16

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार विजय नगर तहसील इन्दौर जिला इन्दौर द्वारा प्रारंभ की गई प्रक्रिया एवं उसके तहत जारी सूचनापत्र क्रमांक 157/री-2/2016, दिनांक 07/12/2016 से व्यथित होकर प्रार्थी अपनी निगरानी याचिका सादर प्रस्तुत करता है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-



यह कि, संबंधित सूचनापत्र ग्राम खजराना तहसील व जिला इन्दौर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 325/3/2/1 एवं सर्वे क्रमांक 325/3/2/2 रकब क्रमशः 1.452 हे. एवं 1.543 हे. स्थित भूमि के बाबत

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4423-पीबीआर/16

जिला झाबुआ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-1-2019	<p>अनावेदक पक्ष शासन की ओर से श्री हेमन्त मूंगी, शासकीय अभिभाषक उपस्थित । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से इस न्यायालय में यह निगरानी तहसील न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष कलेक्टर के समक्ष दिनांक 25-4-2019 को उपस्थित हों । आवेदक सूचित हो।</p> <p> लेख</p> <p> अध्यक्ष</p>	